

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

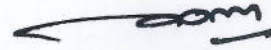
“वित्त भवन” जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल jdpl-ta-rj@nic.in)

क्रमांक :- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-II/

दिनांक :-

प्रमाण पत्र

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.3(ख)(1)/अलेसे-II/10817-10887
दिनांक 05.01.2015 आदेश संख्या 132/2014-2015 द्वारा क्रम संख्या 1 पर
अंकित श्री भीमराज सोनी (लिंग नं. 6372) के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर
दिनांक 30.09.2015 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। इनके
विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के
नियम 16 के अधीन ज्ञापन दिनांक 09.04.2008 को जारी किया गया है।
अतः विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित है।



(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)

क्रमांक :- एफ.3 (ख) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-II/20907-12 दिनांक :- 08-10-15

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर-वृत्त।
3. कोषाधिकारी जोधपुर।
4. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक महोदय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री भीमराज सोनी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-II, कार्यालय उपमहानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक, जोधपुर-वृत्त।



(डॉ. मनीष शुक्ला)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-II)